## न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
## अपील संख्या 13/2018

1- श्री विजय सिंह व्यस्क पुत्र श्री घेवर सिंह।
2–श्रीमती पार्वती देवी पत्नि श्री विजय सिंह
जाति रावत निवासीगण–जवाहर नगर, ब्यावर, तहसील–ब्यावर, जिला– अजमेर।

.....अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. घेवर सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री उदय सिंह ।
2 .श्रीमती राधा देवी पत्नि श्री घेवर सिंह।
उपरोक्त दोनो जाति रावत, निवासीगण–जवाहरनगर, ब्यावर, तहसील–ब्यावर
जिला–अजमेर .....रेस्पोडेन्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 06.02..2018 अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण ब्यावर**

*आदेश* दिनांक :– 26.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधिनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के आदेश दिनांक 06.02..2018, जिसमें "अप्रार्थी सं0 01 (अपीलान्ट) अपने माता–पिता (प्रार्थिया/रेस्पोडेन्ट्स) को सम्मान पूर्वक भरण पोषण हेतु रूपये 5,000/– प्रतिमाह संदाय कर उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से जमा करावें " से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये। अपील के विचाराधीन रहते अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसका रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई दौरान अपीलार्थी0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नियोक्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.5.2018 द्वारा दी गई जानकारी मुताबिक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को वर्तमान बेसिक पेंशन रूपये 27607/– बताई गई है इससे साफ जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को 40,000/–रूपये से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है। अतः अपील के न्यायिक निस्तारण में उक्त जानकारी/दस्तावेज उपयोगी होने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सलंग्न दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान फरमावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पेंशन रूपये 27,607/– प्राप्त होना स्वीकार किया गया। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश न्यायहित में दिया जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

अपीलार्थी ने अपील कथनो को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स के अपीलान्ट सहित तीन पुत्र है। किन्तु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ अधिकरण में केवल अपीलान्ट्स के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 4(1) (क) (ख) व 5 सपठित धारा 22 व 23 अधीन भरण पोषण एवं रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ अधिकारण द्वारा गलत एवं अविधिक रूप से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट्स को 5,000/— रूपये प्रति माह रेस्पोडेन्टस के बैंक खाते में जमा कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट्स के भरण पोषण का उत्तरदायित्व समस्त विधिक वारिसान का होता है किन्तु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जानबूझ कर केवल अपीलान्ट्स को हैरान परेशान करने एवं जबरन रिहायशी सम्पति से बेदखल करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब तथ्यों एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तो की उपेक्षा करते हुए रेस्पोडेंन्ट्स के समस्त विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश केवल मात्र अपीलान्ट्स के विरूद्ध पारित किया जो गलत, बांयस एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 भारतीय सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत है जिन्हे प्रति माह 40 हजार पेशन के रूप में प्राप्त होती है जो उनके भरण पोषण एवं इलाज के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी की आय बहुत कम है। रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट्स को हैरान परेशान करने की नियत से अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष झूंठा परिवाद बिना सभी विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये पेश किया गया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा भी समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलान्ट्स के विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में रेस्पोडेन्ट्स ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 को रूपये— 27,607/— अवश्य प्राप्त होती है किन्तु रेस्पो0 द्वारा अपनी भतीजी के विवाह हेतु भारतीय स्टेट बैंक से रूपये 1,20,000/— एक लाख बीस हजार का ऋण प्राप्त किया गया है तथा इसी बैंक से मकान की मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु अपने पुत्र जितेन्द्रसिंह चौहान के नाम से 1,50,000/— रूपये का ऋण प्राप्त रखा है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कार्यो के लिए करीब 5,00,000/— रूपये का कर्ज ले रखा है। उक्त समस्त कर्ज की राशियों पर रेस्पोडेन्ट ही अपनी पेशन से ब्याज अदा कर रहा है। इस कारण रेस्पोडेन्ट को अपना व अपनी पत्नी का जीवन यापन करने में काफी परेशानी हो रही है। रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलार्थी बेहद हिंसक एवं झूठा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 04.03.2018 को अपनी सुरक्षा बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, ब्यावर के समक्ष अपीलान्ट के विरूद्ध मारने की नियत से रूम में घुसकर सरिये से हमला करने सम्बन्धी शिकायत प्रस्तुत की थी जिसकी जांच सहायक उप निरीक्षक को दी गई। उन्होने आगे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स अपीलान्ट संख्या 01 के जायंदा माता पिता है, जिन्हौने जीवन भर अपने पुत्र के प्रति तमाम दायित्वों, भरण—पोषण, शिक्षा—दीक्षा, विवाह इत्यादि कर निभाया है। किन्तु अपीलान्ट एवं इसकी पत्नि द्वारा इस वृद्धावस्था में अपने दायित्वों से विमुख होकर रेस्पोडेन्ट्स के साथ लडाई—झगडा, मारपीट करते है तथा येन केन प्रकारेण शारीरिक एवं मानसिक रूप से हैरान—परेशान एवं प्रताडित कर हरसंभव नाजायज लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है। अपीलार्थी आर्थिक रूप से काफी सक्षम एवं सुदृढ है, बेट्री का व्यवसाय एवं फेक्ट्री है तथा फाईनेन्स का व्यवसाय कर रहा है।

न्यायालय जिला कलेक्टर

... मजिस्ट्रेट
अजमेर

अपीलान्ट द्वारा फाईनेन्स के व्यवसाय के तहत खाली स्टाम्प व चेको का दुरूपयोग कर मजबूर एवं लाचार लोगो से नाजायज रूपयों की वसूली करने का गलत एवं गैर कानूनी काम भी करता है। रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि उनके दो छोटे पुत्र जिसमें राजेन्द्रसिंह कम्पयूटर रिपेयरिंग की दुकान पर नौकर करके प्रतिमाह रूपये 7,000/— कमाता है तथा दूसरा जितेन्द्रसिंह उर्फ रिंकू प्राईवेट स्कूल में छोटे बच्चों को पढाने का कार्य करके 11,500/— रूपये प्रतिमाह कमाता है। उक्त दोनो पुत्र प्रारम्भ से ही आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के बावजूद हर संभव प्रयास कर रेस्पोडेन्ट्स की सेवा चाकरी, सार संभाल, ईलाज इत्यादि करवाते आ रहे है। अपीलान्ट्स, इनसे द्वेषता रखता है तथा दिनांक 4.3.2018 को रेस्पोडेन्ट्स के छोटे पुत्र जितेन्द्र उर्फ रिंकू पर लोहे के सरिये से सिर पर जानलेवा हमला किया ताकि डर एवं भय से से हम समस्त कार्यवाहियॉ वापिस ले लेंवे। अपीलार्थी नं0 01 अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है इसके विरूद्ध काफी अपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। अपीलार्थी आर्थिक रूप से सुदृढ होने के बावजूद उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का किसी तरह से भरण—पोषण, जीवन—यापन एवं ईलाज आदि हेतु आवश्यक आर्थिक सहयोग नहीं किया जाता है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाते हुए अधिनस्थ अधिकरण द्वारा दिलाई गई भरण पोषण राशि में बढोतरी की जाकर 30,000/— रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन उपरान्त अधिनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलान्ट को आदेशित किया जाता है कि अपने माता—पिता की वद्धावस्था को देखते हुए उनकी उचित देखभाल करते हुए उनके शान्ति पूर्ण जीवन यापन में सहयोग करें, किसी प्रकार से लडाई—झगडा वाद विवाद, मार—पीट आदि नहीं करते हुए अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करें। इस आश्य की लिखित अन्डर टेंकिग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण, ब्यावर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर